राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

आई.टी. भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

पत्रांक प11(46)सू.प्री./प्रोजे /08/2612 जयपुर, दिनांक 22-7-11

परिपत्र

विषय :– राजकीय कार्यालयों में इन्टरनेट सुविधा के उपयोग बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा शासन सचिवालय एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में आकडों एवं सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं शीघ्र संप्रेषण हेतु इंटरनेट की सुविधा सेक्लेन के तहत उपलब्ध करायी गयी है।

प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय कार्यालयों में कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त सुविधा का उपयोग राजकीय कार्यो के निष्पादन के अतिरिक्त गैर सरकारी कार्यो जैसे Downloading and viewing of audio and video, online games, social networking sites, viewing of live matches/news channels एवं अन्य अवांछित साईटों को देखने हेतु भी किया जाता है जिससे उपलब्ध इंटरनेट अवरूद्ध होकर राजकीय कार्यो में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

उक्त Audio and video download/upload एवं अवांछित साईटों एवं गैर सरकारी कार्यो से सम्बन्धित इन्टरनेट वैब साईटों को रोकने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है तदापि इस प्रकार की अन्य साइटें फिर भी उपयोग कर्ताओं को उपलब्ध हो जाती/रहती है।

राजकीय कार्यालयों में इंटरनेट सुविधा का उपयोग अवांछित साईटों को देखने एवं गैर सरकारी कार्यो हेतु किया जाना, राजकीय कार्य में व्यवधान एवं राजकीय संसाधनों के दुरूपयोग की श्रेणी में आता है तथा गैर कानूनी भी है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से सभी राजकीय कर्मचारीयों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि उनको उपलब्ध कराई जा रही इंटरनैट सुविधा का उपयोग राजकीय कार्यो हेतु सुनिश्चित किया जाना सम्बन्धित राजकीय कर्मचारी/अधिकारी की जिम्मेदारी है तथा यदि उनको उपलब्ध कराई गयी सुविधा का उपयोग अनावश्यक Audio/video downloading, viewing एवं अवांछित साईटों को देखने एवं गैर सरकारी कार्यो हेतु करना पाया गया तो विभाग द्वारा सेक्लेन के माध्यम से प्रदान की गई इंटरनेट की सुविधा को तुरंत रोक दिया जावेगा।

24/2/7

सचिव

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव माननीय मुख्य सचिव महोदय/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त विभागाध्यक्ष,
4. प्रभारी अधिकारी, वैब साईट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को वैब साइट पर अपलोड करने बाबत्।
5. रक्षित पत्रावली
6. सम्बन्धित...

अतिरिक्त निदेशक